प्रेस नोट दिनांक 26.07.2026 जनपद फतेहपुर

“थाना खागा पुलिस द्वारा थाना खागा क्षेत्रांतर्गत हुई मोबाइल टावर से एसी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गई एसी एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.07.2026 को इण्डस मोबाइल टावर लिमिटेड की सहयोगी कंपनी के टेक्नीशियन द्वारा थाना खागा पर मोबाइल टावर से AC चोरी होने की सूचना दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 287/2026 धारा 305(e) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में थाना खागा पुलिस ने प्रभावी सुरागरसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 26.07.2026 को संवत पुलिया के पास से अभियुक्त रोहित विश्वकर्मा निवासी ग्राम टेनी, थाना खागा को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गई Acme-09TR एसी, घटना में प्रयुक्त कटर, प्लास, पेचकस, 06 रिंच, 05 पाना, मल्टीमीटर, विभिन्न प्रकार की चाबियां तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मोबाइल टावरों पर तकनीकी कार्य करने के दौरान मिली जानकारी का लाभ उठाकर उसने अपने एक साथी के साथ टावर परिसर में प्रवेश कर एसी चोरी की थी तथा उसे बेचने के उद्देश्य से छिपाकर रखा था। उसका साथी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बंशीधर राय, चौकी प्रभारी महिचा मंदिर, थाना खागा
2. का0 राघवेन्द्र सिंह
3. का0 अंशुल कुमार
4. का0 विकास यादव